

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (134) वन / 2020

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversion of 0.3648 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For laying of underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS- 0/0 to KMS 58.285=58.285 Km (Gogunda-Kirat Road) District-Udaipur,Rajasthan.

संदर्भ:—आपका पत्रांक एफ 14 (415/37)2020 / एफसीए / प्रमुखस / 2445 दिनांक 03.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Dinesh Engineers Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु **0.3648** हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.3648 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For laying of underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS- 0/0 to KMS 58.285=58.285 Km (Gogunda-Kirat Road) District-Udaipur,Rajasthan की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, सविवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762

Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

In-principle Approval/Diversion/ IT Servi Forest/Divu Forests FCA/Stage I



11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफरी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन द्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एंजेसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अकारण प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां राष्ट्रीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफरी-11/165/2019-एफरी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना करे।

मददीय,

(अ. प्रवीण)
शासन सचिव o/c

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर वाग रोड, नई दिल्ली-110003
 2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024।
 3. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
 4. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
 5. उप वन संरक्षक, उदयपुर।
 6. Dinesh Engineers Ltd. DEPL House, Neighbourhood shopping complex, Sector-4, Nerul-W, Nevi Mumbai, 400706.
 7. रक्षित पत्रावली।

(शुभम जैन)
विशेषाधिकारी o/c

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, संचालन, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762
 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
 Interim Annual/Diversion/IT Services/Alau Instruments FCA/State